ORIGINAL RESEARCH PAPER

Statistics

स्वसहायता समूह (S.H.G.) के वित्तिय समावेशन की संभावना एवं चुनौतियों का अध्ययन "पाटन विकासखंड के विशष संदर्भ में"

KEY WORDS: वित्तिय समावेशन, धारणीय विकास, स्वसहायता समूह।

डॉ. ताामेंश्वरी साहू सहायक प्राध्यापक; अर्थशास्त्र बी. सी. एस. ाासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी; छत्तीसगढ

ABSTRACT

सतत् धारणीय विकास (S.D.G.) उन्मुखीकृत अर्थव्यवस्था के विकास में निर्धनता, पूंजी की कमी, बेरोजगारी, सामाजिक पिछड़ापन, लैगिक असमानता प्रमुख चुनौतियां प्रस्तुत करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण, बचत की प्रवृत्ति एवं बचत का निवेश के रूप में पुनर्चक्रीयकरण आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 में स्वसहायता समूहों के सृजन पर बल दिया गया। स्वयं सहायता समूह समुदाय की महिलाओं द्वारा संगठित स्वैच्छिक सूक्ष्म वित्तिय संगठन है। जिनको वर्तमान परिदृश्य में अधिक गतिशील, सक्षम एवं आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जाना आवश्यक है, देश में संगठित वित्तिय प्रणाली के विकास के लिए स्वसहायता समूह का बैकों के साथ लिंकेज एवं डिजिटाइजेशन आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के पांच गांवों के स्वसहायता समूहों की मौलिक समंको पर आधारित है, अध्ययन में पाया गया गामीण क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन के लिए आधारभूत सुविधाओं का अभाव, स्वसहायता समूह के सदस्यों की निम्न साक्षरता दर, ई–साक्षरता का अभाव, बैंको का सीमित विस्तार, वित्तिय समावेशन में प्रमुख बाधा है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए महिलाओं की सहभागिता, बैंको की सक्रियता एवं नाबार्ड की नियोजित प्रयास आवश्यक है।

प्रस्तावना– वैश्विकरण के इस युग में विकासशील देशों का मुख्य आर्थिक लक्ष्य वित्तिय समावेशन है। वित्तिय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005 से भारतीय रिजर्व बैक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सम्मिलित प्रयास से देश में कई तरह के कार्यक्रम संचालित है, जिसमें में स्वसहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम भी शामिल है।

स्वसहायता समूह (SHG) का वित्तिय समावेशन के लिए वर्ष 1992–93 में पायलट परियोजना प्रारंभ की गयी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं बैंको की मदद से 500 स्वसहायता समूह को विभिन्न बैंको से जोड़ा गया। 1994–95 में 2212 स्वसहायता समूह को बैंको से लिंक किया गया। स्वसहायता समूह द्वारा बैंक में बचत खाता खोलना बैंक से एक परिचय मात्र है, लिंकेज का पूर्ण स्वरूप है, बैंक से कर्ज लेना एवं व्यवहारिक संबंध है।

वित्तिय समावेशन का अर्थ – कम आय वाले लोगों और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमतों पर भुगतान, बचत क्रेडिट आदि सहित वित्तिय सेवाएं पहुंचाने का प्रयास है, इसे समावेशी वित्तपोषण भी कहा जाता है।

एक नोडल संस्था के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) स्वयं सहायता समूह के वित्तिय समावेशन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

स्वसहायता समूह के बैंक लिंकेज ई शक्ति परियोजना के प्रमुख उद्देश्य– ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरक ऋण नीतियों का विकास करना, समूह की बचत क्षमता एवं ऋण वितरण क्षमता का विस्तार करना तथ ग्रामीण जनता के मध्यम बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करना।

समूह कम से कम छःमाह से निर्बाध रूप से सक्रिय रहें एव अन्य किसी बैक से डिफॉल्टर न हों।

नाबार्ड के अनुसार भारत में लगभग 22 लाख स्वसहायता समूह के 330 लाख सदस्यों ने नाबार्ड के लिंकेज प्रोग्राम के माध्यम से बैंको से ऋण लिये है। स्व सहायता समूह के बैंक लिंकेज कार्यक्रम की प्रगति उत्तर भारत की तुलना मं दक्षिण भारत में अधिक हैं – आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल अग्रणी राज्यों में है, वर्ष 2005–06 में इन राज्यों के 57 प्रतिशत स्व सहायता समूह बैंको से क्रेडिट लिकेंज थें। जबकि भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखण्ड, उत्तराखण्ड में इसकी प्रतिक्रिया मिश्रित रूप में है।

वित्तिय समावेशन एवं डिजिटाइजेशन

वित्तिय समावेशन (Financial Inclusion) को व्यापक एवं प्रभावशाली बनानें के लिए डिजिटाइजेशन आवश्यकता हैं।

डिजिटाइजेशन का अर्थ (Meaning of Digitization)– "Conversion of Analog information in to Digital information" अर्थात् इलेक्ट्रानिक एवं डिजिटल उपकरणों की सहायता से दस्तावेजों एवं अभिलेखों का अंकरूपण करना, विशेषतः कम्प्यूटर, मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों एवं इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओ के आदान–प्रदान को शीघ्र, सर्व सुलभ, पारदर्शी एवं विश्वव्यापी बनाना।

अध्ययन का उद्देश्य–

1. स्वसहायता समूह की क्रियाशीलता का अध्ययन।
2. स्वसहायता समूह के सदस्यों की आर्थिक सामाजिक स्थितियों का अध्ययन।
3. स्वसहायता समूह (S.H.G.) का ई शक्तिकरण द्वारा वित्तिय समावेशन की संभावनाओं एवं चुनौतियों का अध्ययन।

अध्ययन की परिकल्पना –

1. स्वसहायता समूहों के वित्तिय समावेशन से समूह की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है।
2. ई शिक्षा का अभाव एवं आधारभूत संरचना का अभाव वित्तिय समावेशन में बाधक है।

अध्ययन की प्रविधि– प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक आंकडों पर आधारित है–

1. अध्ययन क्षेत्र दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड के ग्राम 05 ग्राम के 25 स्वसहायता समूह एवं सदस्यों पर आधारित है, सर्वेक्षण अवधि फरवरी मार्च 2018 है।
2. प्रत्येक समूह के 55 प्रतिशत सदस्यों को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक समूह के अध्यक्ष एवं सचिव को न्यादर्श में अनिवार्यतः सम्मिलित किया गया है। शेष सदस्यों का चयन लॉटरी विधि से की गयी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, निःशक्त जनों को सविचार अध्ययन में शामिल किया गया।
3. पांच गांवों के 25 स्वसहायता समूह में 320 सदस्य है, जिसका 55 प्रतिशत सदस्यों को न्यादर्श के रूप में अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

तालिका क्रमांक .

1 न्यादर्श ग्रामों में स्वसहायता समूह एवं सदस्य संख्या

क्रमांक	ग्राम	समूह की संख्या	सदस्य संख्या	न्यादर्श सूचनादाता
1	आगेसरा,	04	55	30
2	किकिमेटा	09	120	66
3	सुक्लाडीह	03	38	21
4	उमरपोटी	05	53	29
5	नवागांव	04	54	30
योग	05	25	320	176

स्रोत– प्राथमिक आंकड

21 (84%) स्वसहायता समूह का खाता सहकारी बैंको में है। 04(16%) का खाता ग्रामीण बैंकों में है। सममूह के सदस्यों के अनुसार समूह के सदस्यों को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। समूह की बैठक मासिक होती है। किसी भी समूह ने अपनी माइक्रों प्लान तैयार नहीं किया है। 07 (28%) ने कहा कि समूह का मास्टर डाटा दर्ज किया जाता है। 09 (36%) समूहों में अध्यक्ष द्वारा मास्टर डाटा तैयार किया जाता है। 10 (40%) समूह द्वारा मानक बही खाता प्रणाली का पालन किया जाता है।

अध्ययन में पाया गया (68%) प्रतिशत समूह में सदस्य संख्या 10.14 है, 24 समूह में सदस्य संख्या 15.25 सदस्य है, 25 से अधिक सदस्य संख्या वाला कोई भी समूह नहीं है। 60% समूहों में मासिक बचत जमा राशि 50 रू. की राशि है। 32: समूह में 100 रू. की धनराशि प्रतिमाह जमा करते, मात्र 2 समूह के सदस्य 20 रू.की राशि जमा करते है। अधिकांशतः 10 समूहों का गठन वर्ष 2013 में किया गया है। 1996 में 01 समूह का गठन हुआ है, तब से समूहों का गठन हो रहा है।

स्वयहायता समूह के 176 सदस्यों में 58 (33%) सदस्य 30.40 आयु वर्ग के है, 41 (23.3%) सदस्य 40.50 आयु वर्ग के है, 43 (24.2%) सदस्य 50 से अधिक आयु वर्ग के है, 08 सदस्य 18 से कम आयु के है, 80: सदस्य विवाहित है, 9% विधवा एवं 9% अविवाहित है।

चित्र क्रमांक . 1 स्वसहायता समूह के न्यादर्श सदस्यों में शिक्षा का स्तर

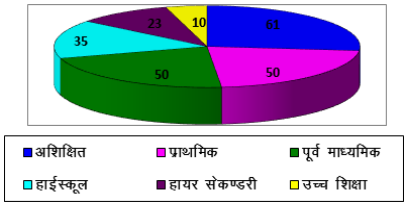

अध्ययन में पाया गया कि 176 में 61 सदस्य अशिक्षित है, जो कुल सदस्य संख्या का 35% है, 56% सदस्य, प्राथमिक एव पूर्व माध्यमिक की शिक्षा प्राप्त है। 33% सदस्य हाई एवं हायर स्कूल शिक्षा प्राप्त है। मात्र 4.5% सदस्य ही उच्च शिक्षा प्राप्त है।

न्यादर्श 176 सदस्यों में कुल 12 सदस्य विकलांग है, जिसमें 02 मानसिक रूप से विकलांग है, 08 अस्थि बाधित एवं 02 दृष्टि बाधित है।

तालिका कमांक .
2 न्यादर्श परिवारों की आवासीय सुविधा की स्थिति

न्यादर्श परिवार	मकान		बिजली		शौचालय	
	कच्चा	पक्का	हां	नहीं	हां	नहीं
संख्या	154	22	162	14	172	04
प्रतिशत	87.5	12.5	92	8	97.7	2.3

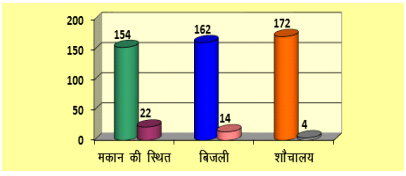

Figure 2

अध्ययन में पाया गया 87.5 प्रतिशत परिवारों के मकान कच्चा है, मात्र 12-5% का मकान पक्का है। 08 प्रतिशत परिवारों के मकान में बिजली की सुविधा नहीं हैं, जो चिंतनीय है। और स्वसहायता समूह के आधुनिकीकरण डिजिटाइजेशन में प्रमुख बाधा है। 97.7 प्रतिशत परिवारों के घरों में शौचालय की सुविधा है जा स्वच्छ भारत अभियान की सफलता को इंगित करती है ।

अध्ययन में पाया गया 88% अन्य पिछड़ा वर्ग के है, 8.6% सदस्य अनुसूचित जाति के एवं मात्र 3.4% अनुसूचित जन जाति के है।

अध्ययन में पाया गया 13.6 प्रतिशत न्यादर्श भूमिहीन है, 10.8 सीमांत कृषक,55.5 प्रतिशत लघुकृषक एवं 20 प्रतिशत सदस्य गृहणी है, जो अपने घरों में खेती बाड़ी का भी कार्य करती हैं।

8.5 प्रतिशत परिवार अत्यंत गरीब है, 31.8 प्रतिशत परिवार गरीब है, एवं 59.7 प्रतिशत परिवार गैर गरीब है। 59.7 प्रतिशत परिवार गैर गरीब की श्रेणी में आते है।

तालिका कमांक .
3 स्वसहायता समूह के सदस्यों का वित्तिय समावेशन

कमांक	बैंक का नाम	सदस्य संख्या	प्रतिशत
1	ग्रामीण बैंक	123	70
2	जिला सहकारी बैंक	09	5
3	एस.बी.आई	08	4.5
4	एस.बी.आई कियोस्क	31	17.6
5	देना बैंक	02	1.1
6	खाता नहीं	03	1.7
	योग	176	100

स्वसहायता समूह के सदस्यों का बैंकों में खाता

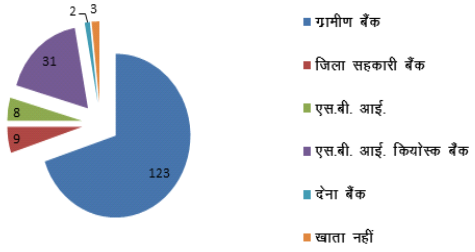

अध्ययन में पाया गया सर्वाधिक 70 प्रतिशत सदस्यों का खाता ग्रामीण बैंक में है, 22 प्रतिशत सदस्यों का एस.बी. आई. में, 5 प्रतिशत सदस्यों का खाता सहकारी बैंकों में एवं 1.1 का खाता देना बैंक में हैं। 1.7 प्रतिशत सदस्यों का किसी भी बैंक में खाता नहीं है।

स्वसहायता समूह के सदस्यों का सामाजिक सुरक्षा की स्थितियां

1. 89.2 प्रतिशत सदस्यों के पास स्मार्ट कार्ड की सुविधा है, अतः वे स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आते है। 10.8 प्रतिशत सदस्य के पास विभिन्न कारणों से स्मार्ट कार्ड की सुविधा नहीं है।
2. 1.7 प्रतिशत सदस्य सूक्ष्म पेशन के दायरे में आते है, 98.3 प्रतिशत सदस्यों के पास किसी भी प्रकार की पेंशन की सुविधा नहीं है।
3. मात्र 6.8 प्रतिशत सदस्य जीवन बीमा के दायरे में आते है।

तालिका कमांक.
4 बैंक खाता का आधार से लिंकेज की स्थिति

	बैंक खाता		बैंक खाता का आधार से जुड़ाव	
न्यादर्श सदस्य संख्या	हां	नहीं	हां	नहीं
	173	03	166	07
प्रतिशत	98.3	1.7	96	04

अध्ययन में पाया गया 98.3 प्रतिशत सदस्यों का बैंक में खाता है, जिसमें से 96 प्रतिशत का बैंक खाता आधार लिंक है, शेष 04 प्रतिशत का खाता आधार से लिंक नहीं है। 1.7 प्रतिशत सदस्यों का किसी भी बैंक में खाता नहीं है, जो वित्तिय समावेशन में सबसे बड़ी बाधा हैं।

अध्ययन क्षेत्र के समूहों के वित्तिय समावेशन में प्रमुख बाधाएं

1. 176 में 61 (35%) सदस्य अशिक्षित है, 56% सदस्य, प्राथमिक एव पूर्व माध्यमिक की शिक्षा प्राप्त है। 33% सदस्य हाई एवं हायर स्कूल शिक्षा प्राप्त है। मात्र 4ण्5ः सदस्य ही उच्च शिक्षा प्राप्त है।
2. 08 प्रतिशत परिवारा के मकान में बिजली की सुविधा नहीं हैं, जो आधुनिकीकरण डिजिटाइजेशन में प्रमुख बाधा है। 8.5 प्रतिशत परिवार अत्यंत गरीब है, 31.8 प्रतिशत परिवार गरीब है।
3. 16(60%) समूह मानक बही खाता प्रणाली का पालन नहीं किया जाता है।
4. 1.7 प्रतिशत सदस्यों का किसी भी बैंक में खाता नहीं है, 98.3 खाता धारकों में शे ा 04 प्रतिशत का खाता आधार से लिंक नहीं है।

सुझाव –

1. स्वसहायता समूह की महिलाओं में डिजिटल साक्षरता के लिए व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता है।
2. गांवों में आधार भूतसंरचना जैसे बिजली, इंटरनेट कवरेज, साइबर कैफे, बैंक, ई.साक्षरता के लिए ई– साक्षरता मित्र की सुविधा होनी चाहिए ।
3. स्वसहायता समूहों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए जिससे महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भर आए, महिलाएं अपने परिवार के गैर उत्पादकीय कार्यों के लिए ऋण लेती हैं, उत्पादकीय ऋण को बढ़ावा देना चाहिए।
4. स्वसहायता समूहों के साथ बैंकों का व्यवहार सहयोगात्मक एवं अभिप्रेरणा मूलक होना चाहिए ।

निष्कर्ष – स्वसहायता समूहों का डिजिटाइजेशन स्वसहायता समूहों के आधुनिकीकरण एवं वित्तिय समावेशन के अत्यंत आवश्यक है। गांवों के निर्धन वर्ग को सूदखोर महाजन, बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए की समूहों का बैंको से वित्तिय समावेशन एवं आर्थिक सुदृढ़ता आवश्यक है, नाबार्ड द्वारा इसकी अभिनव पहल की गयी है। समूह के सदस्यों एवं बैंको की दृढ़ इच्छा शक्ति पर ही ई–शक्ति परियोजना की सफलता निहित हैं।

संदर्भ –

1- Ghosh S. (2014) "Citizenship in Practice: Poverty reduction and Self Help Group" Journal of Asian and African studies Vol 49(4) pp 442-456 (online)
2- https/eshakti.nabard.org.
3- Indian Microfinance the challenges of rapid growth, prabhu ghate (2007). sage publication.
4- Basu, Priya and Pradeep srivastava 2005 "exploring possiblities: microfinance and Rural
5- Rural credit and self-help groups:micro- Finance needs and concepts in india. K.G. Karmakar. sage publication.
6- Financial litteracy for self help groups Financial inclusion and Development Department, Rbi.